

प्ररूप 3

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

धारा 8 के अधीन कथन और वचनबंध

(धारा 8, नियम 12 देखें)

1. आवेदक (कों) का नाम		मैं/हम..... घोषणा करता हूँ/करते हैं:			
2. संयुक्त आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता		(i) यह कि मैंने/ हमने उसी आविष्कार/मूलतः उसी आविष्कार के लिए भारत से बाहर आवेदन नहीं किया है या (ii) यह कि मैं/हम जिसने/जिन्होंने/ स्वयंएकमात्र रूप से/..... के साथ संयुक्त रूप से यह आवेदन तारीख किया है जो उसी तात्विक रूप से उसी आविष्कार पर पेटेंट के लिए आवेदन दूसरे देशों, में जिनके विधिष्ठियां निम्नलिखित हैं, किया गया है :			
देश का नाम	आवेदन की तारीख	आवेदन सं०	आवेदन की प्रास्थिति	प्रकाशन की तारीख	अनुदान करने की तारीख
3. समनुदेशिती का नाम और पता		(iii) यह कि आवेदन (आवेदनों) पर.....को अधिकार समनुदेशित किया गया है/ हैं कि नियंत्रक द्वारा पेटेंट अनुदान करने की तारीख तक,			

	<p>मैं / हम नियंत्रक को लिखित रूप में भारत के बाहर पेटेंट के लिए फाइल किए गए संगत आवेदनों के विवरणों की सूचना उनके फाइल किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर देता रहूँगा/ देते रहेंगे।</p> <p>.....आज तारीख20.....</p>
<p>4. आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए</p>	<p>हस्ताक्षर</p>
<p>5. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं।</p>	<p>(.....).</p>
	<p>सेवा में,</p> <p>पेटेंट नियंत्रक,</p> <p>पेटेंट कार्यालय,</p> <p>पता.....</p>
<p>टिप्पण- जो लागू न हो उसे काट दें;</p>	